बिहार सरकार,
कृषि विभाग
संकल्प

भारत सरकार के आर्थिक मामलों की मंत्रीमंडलीय समिति की दिनांक–01.07.2015 को आयोजित बैठक में प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना (PMKSY) के कार्यान्वयन की स्वीकृति दी गयी है। प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना (PMKSY) अन्तर्गत सिंचाई आपूर्ति श्रृंखला यथा जल संसाधन, वितरण जालतंत्र, खेत स्तर पर कुशल उपयोग तथा नवीनतम तकनीक एवं ज्ञान का प्रसार के शुरू से अंत तक की समस्याओं का समाधान किया जायेगा। भारत सरकार के द्वारा निर्गत मार्गदर्शिका की कंडिका–11 के आलोक में राष्ट्रीय कृषि विकास योजना के लिए गठित राज्य स्तरीय स्वीकृति समिति को संबंधित विभागों से सदस्यों को सम्मिलित कर सुदृढ़ किया जाना है। इसके आलोक में प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना के लिए राज्य स्तरीय स्वीकृति समिति के गठन के प्रस्ताव पर राज्य सरकार द्वारा सहमति प्रदान की गयी है।

2. राज्य स्तरीय स्वीकृति समित गठित करने का मुख्य उद्देश्य अन्त–र्विभागीय कार्य समूह के द्वारा अनुशंसित योजनाओं को स्वीकृति प्रदान करना है।

3. प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना के लिए निम्न प्रकार राज्य स्तरीय स्वीकृति समिति (SLSC) का गठन किया जाता है :–

1.	मुख्य सचिव	अध्यक्ष
2.	प्रधान सचिव, कृषि	सदस्य
3.	प्रधान सचिव, वित्त विभाग	सदस्य
4.	प्रधान सचिव, पशु एवं मत्स्य संसाधन विभाग	सदस्य
5.	प्रधान सचिव, ग्रामीण विकास विभाग	सदस्य
6.	प्रधान सचिव, जल संसाधन विभाग	सदस्य
7.	प्रधान सचिव, सहकारिता विभाग	सदस्य
8.	सचिव, योजना एवं विकास विभाग	सदस्य
9.	सचिव, वन एवं पर्यावरण विभाग	सदस्य
10.	सचिव, पंचायती राज विभाग	सदस्य
11.	सचिव, लघु जल संसाधन विभाग	सदस्य
12.	प्रबंध निदेशक, कम्फेड	सदस्य
13.	मुख्य महाप्रबंधक, नवार्ड, पटना	सदस्य
14.	निदेशक, भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद्, पूर्वी क्षेत्र, पटना	सदस्य
15.	कृषि निदेशक	सदस्य सचिव
16.	उद्यान निदेशक	सदस्य
17.	पशुपालन निदेशक	सदस्य
18.	निदेशक, मत्स्य	सदस्य
19.	कृषि एवं सहकारिता विभाग भारत सरकार के प्रतिनिधि (जो संयुक्त सचिव से न्यून नहीं होंगे)	सदस्य
20.	पशुपालन, गव्य एवं मत्स्यकी विभाग, भारत सरकार के प्रतिनिधि (जो संयुक्त सचिव से न्यून नहीं होंगे)	सदस्य
21.	राजेन्द्र कृषि विश्वविद्यालय, पूसा के प्रतिनिधि	सदस्य
22.	योजना आयोग, भारत सरकार, नई दिल्ली के प्रतिनिधि	सदस्य
23.	निदेशक, बिहार कृषि प्रबंधन एवं प्रसार प्रशिक्षण संस्थान (बामेती), पटना	सदस्य
24.	अपर सचिव, कृषि विभाग–सह–नोडल पदाधिकारी, आत्मा योजना	सदस्य
25.	मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी, राज्य स्तरीय नोडल अभिकरण (SLNA) IWMP, बिहार	सदस्य
26.	निदेशक, भूमि संरक्षण, कृषि विभाग	सदस्य

27. जल संसाधन विभाग,
भारत सरकार के प्रतिनिधि (जो संयुक्त सचिव से न्यून नहीं होंगे) सदस्य

28. भू–संसाधन विभाग,
भारत सरकार के प्रतिनिधि (जो संयुक्त सचिव से न्यून नहीं होंगे) सदस्य

29. ग्रामीण विकास विभाग,
भारत सरकार के प्रतिनिधि (जो संयुक्त सचिव से न्यून नहीं होंगे) सदस्य

30. बिहार कृषि विश्वविद्यालय, सबौर, भागलपुर के प्रतिनिधि सदस्य

4. भारत सरकार के न्यूनतम दो प्रतिनिधि की उपस्थिति के अभाव में समिति की गणपूर्ति (कोरम) पूर्ण नहीं होगी।

5. समिति जल क्षेत्र, सिंचाई के क्षेत्र में कार्य कर रहे जन/निजी अभिकरणों, सिंचाई के क्षेत्र में कार्य करने वाले प्रतिष्ठित गैर सरकारी संगठनों (NGO), प्रगतिशील किसानों, अनुसंधान संस्थानों आदि को सहयोजित (Co-opt) कर सकती है।

6. भारत सरकार से प्राप्त मार्ग–दर्शिका के अुनसार राज्य स्तरीय स्वीकृति समिति निम्न कृत्यों के लिए जिम्मेवार होगीः–

(i) राज्य सिंचाई योजना एवं जिला सिंचाई योजना का अनुमोदन।

(ii) प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना अन्तर्गत परियोजनाओं के लिए निधि उपलब्ध कराने हेतु प्राथमिकता तय करना एवं स्वीकृति प्रदान कराना।

(iii) प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना के क्रियान्वयन का अनुश्रवण एवं समीक्षा करना।

(iv) अन्य योजनाओं के साथ सम्मिलन (Convergence) सुनिश्चित करना जिससे संसाधनों एवं प्रयासों में दोहराव (duplication) न हो।

(v) यह सुनिश्चित करना कि वित्तीय पैटर्न/अनुदान सहायता के संदर्भ में अंतर्जिला विषमता नहीं हो।

(vi) परियोजना की प्रकृति के आधार पर अभिकरण/विभाग की विशेषज्ञता के आधार पर क्रियान्वयन अभिकरण/विभाग का चयन करना।

(vii) कार्यक्रम घटक से संबंधित मंत्रालय/विभाग की मार्ग–दर्शिका के अनुसार कार्यक्रमों का क्रियान्वयन सुनिश्चित करना।

(viii) आवश्यकनुसार समय–समय पर परियोजनाओं का मूल्यांकन अध्ययन कराना।

(ix) वित्तीय प्रबंधन को दृष्टिगत रखते हुए परियोजनाओं के क्रियान्वयन पर होने वाले व्यय के लिए वर्तनानं में लागू भारत सरकार के द्वारा निर्धारित प्रक्रियाओं एवं निर्देशों का अनुपालन सुनिश्चित करना।

(x) पंचायती राज्य संस्थाओं का प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना के क्रियान्वयन विशेषकर लाभार्थी चयन, सामाजिक अंकेक्षण आदि में सक्रिय रूप से सहभागिता सुनिश्चित करना।

बिहार राज्यपाल के आदेश से,
(Sd/- 01/3/16)
(रामजी सिंह)
सरकार के अपर सचिव,
कृषि विभाग, बिहार, पटना

ज्ञापांक–प्र०मं०कृ०सिं०यो०को०–01/2015 1188 /कृ०, पटना दिनांक 02 ~~फरवरी~~ 03, 2016
प्रतिलिपि :– अधीक्षक, सचिवालय मुद्रणालय, गुलजारबाग, पटना को बिहार राजपत्र (असाधारण अंक) में प्रकाशनार्थ प्रेषित।

(Sd/- 01/3/16)
सरकार के अपर सचिव,
कृषि विभाग, बिहार, पटना

ज्ञापांक– 1188 /कृ०, पटना दिनांक 02 ~~फरवरी~~ 03, 2016

प्रतिलिपि :– महालेखाकार, बिहार, पटना को सूचनार्थ प्रेषित।

01/3/16

सरकार के अपर सचिव,
कृषि विभाग, बिहार, पटना

ज्ञापांक– 1188 /कृ०, पटना दिनांक 02 ~~फरवरी~~ 03, 2016

प्रतिलिपि :– सचिव, भारत सरकार, कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, कृषि, सहकारिता एवं किसान कल्याण विभाग, कृषि भवन, नई दिल्ली/सचिव, भारत सरकार, पशुपालन, गव्य एवं मत्स्यकी विभाग, कृषि भवन, नई दिल्ली/सचिव, भारत सरकार, जल संसाधन विभाग, श्रम शक्ति भवन, रफी मार्ग, नई दिल्ली–110001/सचिव, भारत सरकार, भू–संसाधन विभाग, सी०जी०ओ० कॉम्प्लेक्स, लोधी रोड, नई दिल्ली–110003/सचिव, भारत सरकार, ग्रामीण विकास विभाग, कृषि भवन, डॉ० राजेन्द्र प्रसाद रोड, नई दिल्ली–110001 को सूचनार्थ प्रेषित।

01/3/16

सरकार के अपर सचिव,
कृषि विभाग, बिहार, पटना

ज्ञापांक– 1188 /कृ०, पटना दिनांक 02 ~~फरवरी~~ 03, 2016

प्रतिलिपि :– कृषि सलाहकार, योजना आयोग, भारत सरकार, पार्लियामेंट स्ट्रीट, नई दिल्ली–110001 को सूचनार्थ प्रेषित।

01/3/16

सरकार के अपर सचिव,
कृषि विभाग, बिहार, पटना

ज्ञापांक– 1188 /कृ०, पटना दिनांक 02 ~~फरवरी~~ 03, 2016

प्रतिलिपि :– मुख्य सचिव, बिहार, पटना/विकास आयुक्त, बिहार, पटना/प्रधान सचिव, कृषि विभाग, बिहार, पटना/सभी प्रमंडलीय आयुक्त/सभी विभागीय सचिव/सभी जिला पदाधिकारी को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

01/3/16

सरकार के अपर सचिव,
कृषि विभाग, बिहार, पटना

ज्ञापांक– 1188 /कृ०, पटना दिनांक 02 ~~फरवरी~~ 03, 2016

प्रतिलिपि :– राज्य स्तरीय स्वीकृति समिति के सभी सदस्यों को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

01/3/16

सरकार के अपर सचिव,
कृषि विभाग, बिहार, पटना

ज्ञापांक– 1188 /कृ०, पटना दिनांक 02 ~~फरवरी~~ 03, 2016

प्रतिलिपि :– माननीय मुख्यमंत्री के आप्त सचिव/माननीय उप मुख्यमंत्री के आप्त सचिव/माननीय मंत्री, कृषि विभाग, बिहार सरकार के आप्त सचिव को सूचनार्थ प्रेषित।

01/3/16

सरकार के अपर सचिव,
कृषि विभाग, बिहार, पटना

ज्ञापांक– 1188 /कृ०, पटना दिनांक 02 ~~फरवरी~~ 03, 2016

प्रतिलिपि :– मंत्री, कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार के आप्त सचिव को सूचनार्थ प्रेषित।

01/3/16

सरकार के अपर सचिव,
कृषि विभाग, बिहार, पटना